15

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1831–दो/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 3–9–2007 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण कमांक 444/2005–06 निगरानी

रामाधर पुत्र चुनवादी चमार निवासी ग्राम बरज
हाल मुकाम नीमी वृत्त
तहसील रघुराजनगर जिला सतना ———आवेदक

विरूद्ध

1– रामध्यान पुत्र जागेश्वर प्रसाद ब्राहमण
मृत वारिस
1– तुलसीदास पाण्डे 2– रामप्रकाश पाण्डे
3– जयप्रकाश पाण्डे 4– श्यामलाल पाण्डे
चारों पुत्रगण स्व. रामध्याण ब्राहमण
2– रामखेलावन पुत्र जागेश्वर प्रसाद ब्राहमण
3– चन्द्रपाल पुत्र रामनाथ ब्राहमण
4– श्रीमती कौशल्या पत्नि स्व.रामनाथ ब्राहमण
सभी ग्राम कुआं तहसील रघुराजनगर जिला सतना ———अनावेदकगण

(आवेदक के श्री पी.के.तिवारी अभिभाषक)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक-11 –01 –2018 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 444/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–9–2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर

452 459, 460 के भूमिस्वामी (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) चुनवादी चमार थे। इंसी भूमि पर राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 24 पर आदेश दिनांक 2-5-1962 से अनावेदक क. 1,2 का नामान्तरण किया। चुनवादी चमार के पुत्र रामाधार ने कलेक्टर जिला सतना के समक्ष स्वमेव निगरानी आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि कहीं नहीं बेची थी, परन्तु रामध्यान एंव रामखेलावन ने छलपूर्वक भूमि अपने नाम कराई है, इसलिये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही की जावे। कलेक्टर सतना ने स्वमेव निगरानी कमांक 25/2002-03 पॅजीबद्ध की तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23-5-2006 पारित करके राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना व्दारा ग्राम की नामान्तरणी पंजी के सरल कमांक 24 पर आदेश दिनांक 2-5-1962 से किया गया नामान्तरण निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 444/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-9-2007 से निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश दिनांक 23-5-2006 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 23-5-2006 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 3-9-2007 के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना के ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 24 पर दिये गये आदेश दिनांक 2-5-1962 के विरूद्ध कलेक्टर सतना ने लगभग 40 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध की है एंव आदेश दिनांक

23-5-2006 से लगभग 40 वर्ष पूर्व किये गये नामान्तरण को निरस्त किया है। इन 40 वर्षो की अवधि तक आवेदक क्यों चुप बैठा रहा, आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं। **राधाचरण शर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2013 रा.नि. 41 (उच्च न्यायालय) = एम.पी.एच.टी. 350 मे 23 वर्ष के विलम्ब को अनुचित विलम्ब माना है।** इसी प्रकार **रामभरोसी शर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2002 रा.नि. 452 म.प्र.हाईकोर्ट में भी सात वर्ष बाद स्वमेव पुनरीक्षण कार्यवाही को अनुचित विलम्ब होना माना है।** इन्हीं आधारों पर अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 444/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-9-2007 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 444/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-9-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर